मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या:डीजी–एक–201/2016(2)　　　　　　　　　　दिनांक फरवरी 18, 2016

सेवा में,

1–अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना/सुरक्षा उत्तराखण्ड
2–पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र
3–पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र
4–पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग
5–प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल
6–पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय, उत्तराखण्ड
7–समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(प्रभारी जनपद) उत्तराखण्ड
8–समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी/आईआरबी/एटीसी/एसडीआरएफ उत्तराखण्ड
9–पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) अभिसूचना देहरादून/हल्द्वानी
10–सैक्टर आफीसर अपराध अनुसंधान विभाग सैक्टर देहरादून/हल्द्वानी
11–सैक्टर आफीसर सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून/हल्द्वानी
12–प्रतिसार निरीक्षक पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड

वियय: रैंकर महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विशेष परीक्षा प्रकिया का आयोजन ।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि 17–3–2016

शासनादेश संख्या: 161/XX-7-2015-1(14)2002 दिनांक 28–1–2016 के द्वारा राज्य के प्रत्येक थानों में महिला उप निरीक्षक ना0पु0 की तैनाती हेतु विभाग में उप निरीक्षक के रिक्त 42 पदों को सम्मिलित करते हुए 108 अधिसंख्यक पद का सृजन कर कुल 150 पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत उप निरीक्षक महिला नागरिक पुलिस की भर्ती करने की अनुमति प्रदान की गयी है । उक्त शासनादेश के कम में एवं महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती हेतु निर्गत की गयी विज्ञप्ति दिनांक 29–1–2016 एवं समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 18–2–2016 के कम में पुलिस विभाग में **08 पदों पर** रैंकर महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के चयन हेतु परीक्षा प्रकिया प्रारम्भ करते हुए निम्नांकित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वाली महिला हेड कान्स0/कान्स0 से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

1– पात्रता: निम्नांकित पात्रता शर्ते पूर्ण करने वाली नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/पीएसी/अभिसूचना की महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगी:–

(1) **आयु:** चयन वर्ष की प्रथम जनवरी अर्थात **1–1–2016 को 45 वर्ष से अधिक न हो।**

(2) अनुभवः चयन वर्ष की प्रथम जनवरी अर्थात 1–1–2016 को पुलिस विभाग में भर्ती तिथि से कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों।

(3) काडर आवंटनः काडर विभाजन में उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो अथवा राज्य गठन की तिथि 9–11–2000 के बाद उत्तराखण्ड पुलिस में भर्ती हुआ हो और उत्तराखण्ड पुलिस में कार्यरत हो।

(पीएसी/आईआरबी की महिला हेड कान्स0/कान्स0 को इस परीक्षा में सम्मिलित करने का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित स्पेशल अपील संख्याः 622/2015 विकास कुमार व अन्य बनाम मोहन सिंह तोमक्याल व अन्य एवं स्पेशल अपील संख्याः 625/2015 प्रदीप शर्मा व अन्य बनाम मोहन सिंह तोमक्याल व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा)

(4) सेवा अभिलेखः सेवा अभिलेख चयन वर्ष के अध्यावधिक तथा चयन वर्ष से विगत वर्ष (यथा इंगित) के विचारण में लाये जायेंगे। विगत 5 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, विगत 3 वर्षो में बृहद दण्ड न मिला हो, विगत 01 वर्ष में कोई लघु दण्ड न मिला हो। दडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होती है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

2– इस पत्र के प्राप्त होते ही इसका विस्तृत प्रचार/प्रसार किया जायेगा। जनपद/इकाई से बाहर प्रतिनियुक्ति पर तैनात अथवा जनपद से बाहर कार्यरत अथवा अवकाश पर गयी कर्मियों को सूचना सम्बन्धित जनपद/इकाई स्तर से तत्काल दे दी जाय। प्रार्थना पत्र प्रेषित करने एवं उनके परीक्षण हेतु निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगीः–

3– जनपद/इकाई/शाखाओं में आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि **17–3–2016 निर्धारित ।**

4– जनपद/पीएसी वाहिनियों में नियुक्त कर्मचारी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र अपने जनपद/वाहिनियों में देंगे, जबकि पुलिस मुख्यालय/अभिसूचना मुख्यालय/अभिसूचना शाखाओं/सुरक्षा शाखाओं/सतर्कता विभाग/अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग व अन्य शाखाओं/स्थानों में नियुक्त कर्मचारी अपना प्रार्थना पत्र उस जनपद/इकाई/शाखा प्रभारी को

शाखाओं/स्थानों में नियुक्त कर्मचारी अपना प्रार्थना पत्र उस जनपद/इकाई/शाखा प्रभारी को प्रेषित करेंगे, जहां से वे सम्बन्धित शाखा/इकाई में नियुक्त/सम्बद्व हैं अथवा जिस कार्यालय में उनके सेवा अभिलेखों का रख–रखाव होता है। समस्त शाखाओं/इकाइयों के प्रभारी अपने कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के सेवा अभिलेखों का पात्रता शर्तो के अनुसार परीक्षण करवाकर रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र अभ्यर्थियों का विवरण उनके प्रार्थना पत्रों सहित संलग्न प्रारूप में (एक्सल में सेल मर्ज किये बगैर) सीडी एवं हार्ड कापी में दिनांक 30–3–2016 तक उस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिस जनपद में वह मुख्यालय/शाखा/इकाई अवस्थित है। जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक, पीएसी वाहिनी/आईआरबी अपने कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण उक्त पात्रता शर्तो के अनुरूप किसी राजपत्रित अधिकारी की देख–रेख में करवाकर अन्य शाखाओं/मुख्यालय के आवेदकों को सम्मिलित करते हुए अपने जनपद/वाहिनी के परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का विवरण संलग्न प्रारूप में (एक्सल में सेल मर्ज किये बगैर) सीडी एवं हार्ड कापी सहित दिनांक 5–4–2016 तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा प्रकिया संबंधी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5– लिखित परीक्षा

उपरोक्त पात्रता/अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्यालय स्तर से गठित चयन समिति के पर्यवेक्षण में लिखित परीक्षा सम्पन्न कराई जायेगी। लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् हैः–

कमांक	विषय	अधिकतम अंक
(1)	सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी	100 अंक
(2)	पुलिस प्रकिया	100 अंक
(3)	विधि	100 अंक

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रकिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य

हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थिनी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने वाली अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

6– लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थिनियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) चयन समिति द्वारा निर्धारित स्थानों पर कराई जायेगी, जिसके अन्तर्गत 03 किमी0 की दौड़ 21 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) उपरोक्तानुसार निर्धारित समय में पूर्ण करने वाली अभ्यर्थिनियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन कराया जायेगा, जो अभ्यर्थिनी शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) निर्धारित समय में पूर्ण करने में विफल होंगी, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल/असफल अभ्यर्थिनियों की अलग-अलग सूचियां चयन समिति द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेंगी।

7– सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु अंकों का निर्धारणः– सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 100 होंगे, जिनका निर्धारण/मानक निम्नवत् होंगेः–

सेवाकाल– 15 अंक अधिकतम

(क) 01 वर्ष की पूर्ण सेवा पर–	01 अंक

शिक्षा–10 अंक अधिकतम

(क) स्नातक या उससे ऊपर–	10 अंक
(ख) इण्टरमीडिएट	08 अंक
(ग) हाईस्कूल–	06 अंक

कोर्स 15 अंक अधिकतम

(क)	03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स–	02 अंक
(ख)	07 दिन से 14 दिन का कोर्स	04 अंक
(ग)	14 दिन से 30 दिन तक का कोर्स	06 अंक
(घ)	01 माह से अधिक का कोर्स	08 अंक

(बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नहीं की जायेगी)

पुरूष्कार/पदक–20 अंक अधिकतम (क+ख+ग)=20 अंक

(क) प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक (अधिकतम 10 अंक)

(ख) प्रत्येक उत्तम प्रविष्टि के लिए 0.5 अंक (अधिकतम 05 अंक)

(ग)	महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक	05 अंक
	मा0 प्रधान मन्त्री जीवन रक्षा पदक	05 अंक
	बीरता पुलिस पदक	05 अंक
	सराहनीय सेवा पुलिस पदक	04 अंक
	महामहिम राज्यपाल पदक	03 अंक
	मा0 मुख्यमन्त्री पदक	03 अंक
	उत्कृष्ठ सेवा सम्मान चिन्ह	02 अंक
	सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	01 अंक

वार्षिक मन्तव्य– 40 अंक अधिकतम

(क)	Outstanding उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट	04 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(ख)	Very good/Excellent अति उत्तम/बहुत अच्छा	03 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(ग)	अच्छा, good/ उत्तम/औसत से ऊपर	02 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(घ)	Satisfactory/ औसत/सन्तोषजनक	01 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर

11– परीक्षा प्रकिया सम्बन्धी अन्य निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। कृपया इस पत्र का भली भांति अवलोकन एवं अध्ययन करके इसमें दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का कष्ट करें, यदि किसी स्तर पर कोई सन्देह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि उसका निराकरण तत्काल कराया जा सके।

12– इस पत्र में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्ध/शर्तें रैंकर उप निरीक्षक 2014–15 के सबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन स्पेशल अपील/रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

16.03.16

(आर0एस0 मीना)
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन
उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड

2–निदेशक सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड ।

3–निदेशक अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड ।

4–निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड ।

रैंकर उपनिरीक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र अभ्यर्थिनी का विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप

क्र0सं0	अभ्यर्थिनी का नाम/पद/बैंज नम्बर	नियुक्ति जनपद/इकाई का नाम	जन्मतिथि	भर्तीतिथि	दिनांक 01-01-2016 को कुल सेवा			जाति/वर्ग
					वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थिनी के सेवा अभिलेख गहनता से चैक करने के उपरान्त उपरोक्त विवरण तैयार किया गया है, विवरण पत्र में अंकित सभी अभ्यर्थिनी रैंकर उपनिरीक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता/अर्हतायें पूर्ण करती है।

हस्ताक्षर

जनपद/इकाई प्रभारी का नाम

पदनाम